न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH: 01420-228487
E-Mail: sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–26 / 2022
प्रकरण निर्णय दिनांक:–14.07.2023

उनवान– 1. राजकुमारी पत्नी प्रभुदयाल जाति मीना निवासी तिगड्डा तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. मदनलाल पुत्र बुद्धा
2. मनीषा पुत्री बुद्धा
3. मर्दाना पुत्र ग्यारस्या
4. महावीर पुत्र बुद्धा
5. रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण
6. लक्ष्मी देवी पत्नी बुद्धा
7. लाखनसिंह पुत्र बुद्धा

समस्त जाति मीना निवासी तिगड्डा तहसील बसवा जिला दौसा

8. शाखा प्रबंधक, महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया तह. बसवा जिला दौसा
9. शाखा प्रबंधक, महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा बॉदीकुई तह. बसवा जिला दौसा
10. शाखा प्रबंधक, महोदय यूको बैंक शाखा बॉदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार महोदय बसवा तह. बसवा जिला दौसा

दावा बाबत– तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–26 / 2022 सन्–2022

निर्णय दिनांक 14.07.2023

वादिया द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया कि भूमि खाता संख्या नया 10 पुरानी 08 के आराजी खसरा नं. 455 लगायत 466 एवं खसरा नं. 508 / 629 कुल किता–13 कुल रकबा 5.01 हैक्ट. ग्राम तिगड्डा तहसील बसवा हाल तह. बांदीकुई में स्थित है। जो कि वादिया तथा प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 07 की सहखातेदारी भूमि है। भूमि मुतदाविया का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। मौके पर पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्सेनुसार काश्त करने के उद्देश्य से बाहामी तौर पर मन–समाई से बॉट रखी है और काश्त करते चले आ रहे हैं। वादिया ने प्रतिवादीगण से अपने–अपने हिस्से अनुसार भूमि का विधिवत तकास्मा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया। बिना विधिवत तकास्मा हुये पक्षकारान को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः निवदेन है कि भूमि मुतदाविया का वादीगण के हिस्सेनुसार, विधिवत तकास्मा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वादिया वाद पत्र दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4, 6, 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 05 एवं 11 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील हाजिर नहीं, ना ही उनका कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित आया। अतः प्रतिवादी सं. 05 एवं 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4, 6, 7 की ओर से कई अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब बंद किया गया। वादिया वकील द्वारा वाद प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 10 पुरानी 08 के

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

आराजी खसरा नं. 455 लगायत 466 एवं खसरा नं. 508/629 कुल किता–13 कुल रकबा 5.01 हैक्ट. ग्राम तिगड्डा तहसील बसवा हाल तह. बांदीकुई स्थित राजस्व जमाबन्दी संवत 2075–78 दर्ज है। जो राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान की सहखातेदारी भूमि दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार को खातेदारी भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने का अधिकारात प्राप्त होने से वादिया वाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया गया। तथा तहसीलदार बॉदीकुई को भूमि खाता संख्या नया 10 पुरानी 08 के आराजी खसरा नं. 455 लगायत 466 एवं खसरा नं. 508/629 कुल किता–13 कुल रकबा 5.01 हैक्ट. ग्राम तिगड्डा तहसील बसवा हाल तह. बांदीकुई जिला दौसा का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदारान के मध्य उनके हिस्सानुसार जहाँ तक संभव हो कब्जानुसार, सरस नरस, रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका विभाजन प्रस्ताव वरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 1141 दिनांकः 13.04.2023 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात का वादिया वकील द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीया वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

		वर्तमान कुरेजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी			
ग्राम	खाता सं0	कम सं.	नाम काश्तकार व वल्दियत	खसरा नंबर	रकबा
तिगड्डा	नया–10 पुराना–8	1.	राजकुमारी पुत्री मानसिंह धर्मपत्नि प्रभुदयाल जाति मीना निवासी–थोलाई तह. जमवारामगढ जिला जयपुर	455 456 457 463/2	0.73 हैक्ट. 1.05 हैक्ट. 0.65 हैक्ट. 0.05 हैक्ट.
			योग	किता–04	2.48 हैक्ट.
		2.	मदनलाल, महावीर, लाखन सिंह, पि. बुद्धा, मनीषा पुत्री बुद्धा, लक्ष्मीदेवी पत्नि बुद्धा हि. 1/4 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया मरदाना पुत्र ग्यारस्या हि. 1/2 राहिन यूको बैंक शाखा बॉदीकुई रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 1/4 राहिन पी. एन.बी. शाखा बॉदीकुई जाति मीना सा. देह खातेदार	458 459 460 461 462 463/1 465 466 508/629	0.21 हैक्ट. 0.37 हैक्ट. 0.25 हैक्ट. 0.33 हैक्ट. 0.25 हैक्ट. 0.27 हैक्ट. 0.32 हैक्ट. 0.44 हैक्ट. 0.05 हैक्ट.
			योग	किता–09	2.49 हैक्ट.
		3.	राजकुमारी पुत्री मानसिंह धर्मपत्नि प्रभुदयाल जाति मीना निवासी–थोलाई हि. 1/2 तह. जमवारामगढ (जयपुर) मदनलाल, महावीर, लाखन सिंह, पि. बुद्धा, मनीषा पुत्री बुद्धा, लक्ष्मीदेवी पत्नि बुद्धा हि. 1/8 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया मरदाना पुत्र ग्यारस्या हि. 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा बॉदीकुई रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 1/8 राहिन पी. एन.बी. शाखा बॉदीकुई	464	0.04 हैक्ट.

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

कुरैजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

Scanned with CamScanner